

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 161 : Continuation of certain recovery proceedings

The ¹[intimation or notice] for the reduction or enhancement of any demand under section 84 shall be issued in **FORM GST DRC-25**.

1 Substituted for "order" by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 161 : कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना

धारा 84 के अधीन किसी माँग में कमी या वृद्धि के लिए ¹[सूचना या नोटिस] प्ररूप जीएसटी डीआरसी-25 में किया जाएगा।

1 अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा "आदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।